प्ररूप संख्या 123
(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)
आदेशिका

राज्य बनाम प्रकाशचन्द जैन

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या – 1251/2015

सी.आई.एस. संख्या – 759/2024

दिनांक	पीठासीन अधिकारी का लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश के अनुपालन में संक्षिप्त टिप्पण
27.11.2025	अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता परिवादी उपस्थित। अभियुक्त प्रकाशचन्द जैन को प्रोडक्शन वारण्ट की पालना में केन्द्रीय कारागृह, अजमेर से वी०सी० के माध्यम से पेश किया गया। अब अभियुक्त को दिनांक 11.12.2025 को प्रोडक्शन वारण्ट पर पेश किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्त श्री अनिल कसौटिया उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उभय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 242(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 26.09.2025 एवं 17.10.2025 का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 26.09.2025 को धारा 242(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर गवाहान जयचंद एवं भवानी सिंह से सम्बन्धित दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया एवं दिनांक 17.10.2025 को धारा 242(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर गवाहान इमरान अहमद, भागचन्द गुर्जर, रामेश्वर लाल टांक, मनीषा शर्मा, पवन कुमावत, सोहनलाल मेघवंशी, मोहनलाल काठात, सहदेव गुर्जर, मोहनलाल मुण्डेल, राधाकिशन, जगदीश उर्फ जगन्नाथ गुर्जर, नन्दलाल उर्फ नन्दाराम, राजकुमार सिंह एवं कुलदीप सिंह से सम्बन्धित दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया। उभय प्रार्थना पत्रों की नकल अधिवक्ता अभियुक्त को दिलायी गयी, जिन्होंने उभय प्रार्थना पत्रों का लिखित जवाब नहीं देकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.10.2025 के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या अत्यधिक होने से उक्त दस्तावेजों के सम्बन्ध में लिपिकीय रिपोर्ट ली गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। अभियोजन अधिकारी मय परिवादी अधिवक्ता संयुक्त बहस करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए दस्तावेजात् आवश्यक है। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिन गवाहों की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उन गवाहान जयचंद अजमेरा व शिवनारायण की ओर से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं। प्रार्थना पत्र में जितने दस्तावेजात् का हवाला दिया गया है, उन दस्तावेजात् को प्रस्तुत नहीं करते हुये एवं कुछ अतिरिक्त दस्तावेजात् को बिना प्रार्थना पत्र में	

प्ररूप संख्या 123
(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)
आदेशिका

हवाला दिये न्यायालय को मुगालते में रखने व अभियुक्त को सदोष हानि पहुंचाने के उद्धेश्य से रखे गये। जो दस्तावेजात् प्रार्थना पत्र के अनुसार रखे भी गये है, उनमें भी असल दस्तावेजात् नहीं रखे गये हैं, ना ही उनके द्वितीयक साक्ष्य के लिए पृथक् से कोई अनुमति प्राप्त की गयी है और ना ही द्वितीयक साक्ष्य के आधार को सुस्थापित करने के लिए प्रार्थना पत्र में कोई अंकन किया गया है। इस प्रकार अभियोजन, परिवादी के अनुसार कार्य करते हुये विचारण को जटिल एवं दिशाभ्रमित करने के उद्धेश्य से हरसम्भव प्रयास कर रहा है। यदि न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को दिनांक 17.10.2025 की आदेशिका अनुसार दस्तावेजात् प्रत्येक गवाह के अनुसार पृथक्–पृथक् फर्द के साथ प्रस्तुत करने का आदेश नहीं देता तो परिवादी की एकमात्र मंशा विचारण में अनाधिकृत रूप से दस्तावेजात् को सम्मिलित करवाने की होना सफल भी हो जाता। दिनांक 26.09.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् पर अधिवक्ता अभियुक्त की आपत्ति निम्नानुसार है–

प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात्	अधिवक्ता अभियुक्त की आपत्ति
गवाह संख्या 01 – जयचन्द अजमेरा	
1 प्रार्थीगण/गवाहान का टुलिप ग्लोबल का आई०डी० कार्ड व प्रमाण पत्र	असल बाबत् अनापत्ति
2 प्रार्थीगण/गवाहान के नाम की टुलिप ग्लोबल कम्पनी द्वारा जारी बीमा पॉलिसी	असल बाबत् अनापत्ति
3 प्रार्थीगण/गवाहान के नाम जारी पांच चैक जिन पर अमित जैन, विवेक जैन, शशि जैन व पी०सी० जैन के हस्ताक्षर है	हस्ताक्षर बाबत् अनापत्ति
4 टुलिप ग्लोबल के जारी चैक जो अनादरित हुये, जिस पर पी०सी० जैन व शशि जैन के हस्ताक्षर है	फोटो प्रति होने बाबत् आपत्ति
5 टुलिप ग्लोबल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट	पूर्व में प्रदर्शित होने से आपत्ति
6 टुलिप मेगा मार्ट में 31 लाख एक ही व्यक्ति द्वारा जमा करायी गयी स्टेटेमेन्ट की प्रति	फोटो प्रति होने बाबत् आपत्ति
7 विभिन्न अखबारों की कटिंग	Hear and Say Evidence नकल उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्ररूप संख्या 123
(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)
आदेशिका

8 जयचंद अजमेरा, भवानी सिंह राठौड़ व भागचन्द गुर्जर द्वारा मुकदमा नम्बर 276/2024 में जांच के दौरान असल दस्तावेज जब्त करवाये गये जो जब्ती की प्रति	फोटो प्रति प्रमाणित नहीं होने बाबत् आपत्ति
गवाह संख्या 02 – भवानी सिंह	
1 टुलिप ग्लोबल के अखबार की प्रति	Hear and Say Evidence नकल उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2 टुलिप ग्लोबल के मूल ब्रोसर जिनकी कुल संख्या तीन है	टुलिप कम्पनी से सम्बन्धित नहीं होने बाबत् आपत्ति
3 टुलिप ग्लोबल की रसीद जिस पर एल०आई०सी० द्वारा 50,000/– रूपये की बीमे का अंकन किया गया है।	सुसंगत दस्तावेज नहीं होने बाबत् आपत्ति। नकल उपलब्ध नहीं करायी गयी।
4 डायमण्ड उत्सव सेमीनार के फोटोग्राफ	द्वितीयक साक्ष्य
5 टुलिप ग्लोबल की फॉर्म पेड की बुकलेट जिसमें जुड़े हुये अचीवर्स की संख्या है	अनापत्ति प्रकट की गयी।
6 टुलिप ग्लोबल द्वारा जारी सार्वभौमिक बीमा योजना का पेम्पलेट जिसमें अशोक स्तम्भ का चिन्ह है व सत्यमेव जयते लिखा हुआ है तथा नीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व ग्रामीण विकास मंत्री कालू लाल गुर्जर की फोटो अंकित है	फोटो कॉपी, एडिटिंग किये जाने एवं अपूर्ण दस्तावेज बाबत् आपत्ति।

प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.09.2025 हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.10.2025 के माध्यम से अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नानुसार दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर लिपिकीय टिप्पणी को दोहराते हुये ही अधिवक्ता अभियुक्त ने आपत्ति प्रस्तुत की–

प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात्	**टिप्पणी व आपत्ति**
प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.10.2025 में वर्णित सभी गवाहान की ओर से प्रस्तुतीकरण हेतु दर्शाये गये एक समान दस्तावेजों का विवरण	
मुकदमा नम्बर 276/2024 में अनुसंधान के अन्तर्गत असल दस्तावेज की जब्ती	किसी भी गवाह की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।
अधिवक्ता शिवकुमार त्यागी द्वारा अभियुक्तगण पर 1100 करोड़ की ठगी करने का मुकदमा नम्बर	किसी भी गवाह की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्ररूप संख्या 123

(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

आदेशिका

	221/2015 की प्रमाणित प्रति		
	अभियुक्तगण पर जान से मारने, हाथ पांव तोड़कर अपाहिज बनाने का शिव कुमार त्यागी का मुकदमा की प्रमाणित प्रति की प्रति	किसी भी गवाह की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।	
	अन्य परिवादी राजेश देवन्दा की तरफ से वकील शिवकुमार त्यागी के उपस्थित होकर किये हस्ताक्षर की प्रति	किसी भी गवाह की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।	
	परिवादी राधेश्याम जांगिड़ की तरफ से 28/2015 में शिव कुमार त्यागी ने उपस्थित होकर अपने जूनियर वकील पंकज अरोड़ा जोगेन्द्र जीनवाल का नाम लिखकर डमी हस्ताक्षर कर पेश वकालतनामा की प्रति	किसी भी गवाह की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।	
	गवाह संख्या 04 – इमरान अहमद		
	2. गवाहान का टूलिप ग्लोबल का आई०डी० कार्ड व प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। आई०डी० कार्ड असल होने से अनापत्ति।	
	3. गवाह की पत्नी व अन्य के आई० रसीद बीमा बॉण्ड	असल होने से अनापत्ति।	
	4. टूलिप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य द्वारा दुर्घटना मृत्यु होने पर क्लेम राशि वितरित करते हुये रंगीन फोटो	असल होने से अनापत्ति।	
	5. दिनांक 10.09.2004 को टूलिप द्वारा जारी पेम्पलेट	फोटो कॉपी पेश की गयी।	
	6. कम्पनी के मूल ब्रोसर	असल किन्तु अपूर्ण पेश किया गया।	
	7. टूलिप द्वारा जारी चैकों की फोटो प्रति, जिनमें अमित जैन व विवेक जैन के हस्ताक्षर है	असल होने से अनापत्ति।	
	8. टूलिप मेगामार्ट का रजिस्ट्रेशन	असल होने से अनापत्ति।	
	गवाह संख्या 05 – भागचन्द गुर्जर		
	2. मूल ब्रोसर	असल होने से अनापत्ति।	
	3. टूलिप द्वारा जारी चैकों की प्रति जिसमें अमित जैन व विवेक जैन के हस्ताक्षर है	प्रस्तुत नहीं किया गया।	

प्ररूप संख्या 123
(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)
आदेशिका

गवाह संख्या 06 – रामेश्वर लाल टांक	
2. गवाह के नाम का प्रमाण पत्र व रसीद	असल होने से अनापत्ति।
3. 70 वर्ष तक बीमा रिनीवल करवाने सम्बन्धी बॉण्ड	असल होने से अनापत्ति।
4. टूलिप मेगा मार्ट के नाम स्टेटमेन्ट	फोटो प्रति पेश की गयी।
गवाह संख्या 07 – मनीषा शर्मा	
2. टूलिप मेगा मार्ट द्वारा जारी चैक की प्रति जिसमें टूलिप ग्लोबल का आई०डी० नम्बर दर्ज है	फोटो प्रति पेश की गयी।
3. गवाहान की इनकम टैक्स की प्रति जिसमें अमित जैन के हस्ताक्षर है	असल होने से अनापत्ति।
4. गवाह के पति की इंश्योरेंस पॉलिसी	असल होने से अनापत्ति।
5. अभियुक्त के गिरफ्तारी पर होने पर रिमाण्ड के दौरान विभिन्न अखबारों में छपी खबरें	असल होने से अनापत्ति।
6. टूलिप ग्लोबल द्वारा जारी चैक की प्रति जिसमें अमित जैन व विवेक जैन के हस्ताक्षर है	फोटो प्रति पेश की गयी।
गवाह संख्या 08 – पवन कुमावत	
2. टूलिप द्वारा जारी गवाह की आई०डी० की रसीद	असल होने से अनापत्ति।
3. टूलिप द्वारा जारी सी.डी.	प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. टूलिप ग्लोबल के अकाउण्ट डिटेल की प्रति	फोटो प्रति पेश की गयी।
5. टूलिप द्वारा दी गयी फाईल	फाईल कवर पेश किया गया।
6. नैनो कार्ड व टूलिप मेगामार्ट का प्रोडक्ट	असल कार्ड एवं प्रोडक्ट पेश
गवाह संख्या 11 – सोहनलाल मेघवंशी	
2. अपने डाउनटीम की लोगों के चैक की प्रति जिसमें अमित जैन व विवेक जैन के हस्ताक्षर है	प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. अपने डाउनटीम के चन्द्रप्रकाश सोनी की साधारण मृत्यु होने पर 50,000/– रूपये की क्लेम राशि के जारी 5 चैकों की प्रति जिस पर अमित जैन व विवेक जैन के हस्ताक्षर है	फोटो प्रति पेश की गयी।

प्ररूप संख्या 123
(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)
आदेशिका

गवाह संख्या 12 – मोहन लाल काठात	
2. अपने नाम की चार रसीदें	असल होने से अनापत्ति।
गवाह संख्या 13 – सहदेव गुर्जर	
2. तीन रंगीन फोटो जिसमें टूलिप कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सदस्य द्वारा चैक देते हुये दर्शित है	फोटो प्रति पेश की गयी।
3. डाउनलाइन के चैक की प्रति जिसमें अमित जैन व विवेक जैन के हस्ताक्षर है	फोटो प्रति पेश की गयी।
4. टूलिप मेगा मार्ट का रजिस्ट्रेशन	फोटो प्रति पेश की गयी।
गवाह संख्या 14 – मोहन लाल मुण्डेल	
2. स्वयं के चैकों की प्रति जिसमें अनुसंधान के अमित जैन व विवेक जैन के हस्ताक्षर है	फोटो प्रति पेश की गयी।
3. टूलिप मेगा मार्ट के चैक की प्रति जिसमें रोहित कांसलीवाल व अजय गोदा के हस्ताक्षर है	फोटो प्रति पेश की गयी।
4. अभियुक्तगण की फोटो जिसमें लाखों रूपये का कलेक्शन प्राप्त कर रहे हैं	फोटो प्रति पेश की गयी।
5. अभियुक्तगण द्वारा बनायी गयी विभिन्न कम्पनियों के डिटेल की प्रति	फोटो प्रति पेश की गयी।
6 अभियुक्तगण की डि०जी० मुद्रा कम्पनी का रजिस्ट्रेशन	फोटो प्रति पेश की गयी।
7 टूलिप मेगामार्ट में स्वयं की पांच आई०डी० की रसीदें	दस्तावेजों पर "रसीद" अंकित नहीं होकर "Retail Invoice" अंकित है।
गवाह संख्या 15 – राधाकिशन	
2 स्वयं की टूलिप मेगामार्ट में अपने नाम से 26 आई०डी० की रसीदें	दस्तावेजों पर "रसीद" अंकित नहीं होकर "Retail Invoice" अंकित है।
3 शपथ पत्र जिसमें टूलिप ग्लोबल द्वारा 2017 में क्लेम राशि वितरित की गयी	फोटो प्रति पेश की गयी।
4 अपनी बहिन के नाम से बनायी गयी आई०डी० की रसीद	असल होने से अनापत्ति।

प्ररूप संख्या 123
(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)
आदेशिका

गवाह संख्या 16 – जगदीश उर्फ जगन्नाथ गुर्जर	
2 टूलिप कम्पनी का ब्रोसर	असल किन्तु अपूर्ण पेश किया गया।
3 कम्पनी स्टेप अचीवर की प्रति	प्रस्तुत नहीं किया गया।
गवाह संख्या 17 – नन्दलाल उर्फ नन्दाराम	
2 रोशन भारत पाक्षिक अखबार की प्रति जिसमें नन्दाराम को एमरल्ड बनने पर बधाई दी गयी	फोटो प्रति पेश की गयी।
3 टूलिप मेगा मार्ट का प्लान ब्रोसर	फोटो प्रति पेश की गयी।
गवाह संख्या 20 – राजकुमार सिंह	
2 रोशन भारत पाक्षिक अखबार की प्रति जिसमें राजकुमार सिंह को डायमण्ड बनने पर बधाई दी गयी है	अपूर्ण फोटो प्रति पेश की गयी।
3 टूलिप के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न अखबारों की प्रति	अपूर्ण फोटो प्रति पेश की गयी।
गवाह संख्या 21 – कुलदीप सिंह	
2 दिनांक 06.04.2008 के दैनिक नवज्योति की प्रति जिसमें टूलिप के डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फोटो है	अपूर्ण फोटो प्रति पेश की गयी।
3 70 वर्ष तक बीमा होने का प्रमाण पत्र	फोटो प्रति पेश की गयी।
4 टूलिप द्वारा चलाये गये तीन पाक्षिक अखबार रोशन भारत, टुलिप टुडे, टुलिप वर्ल्ड की प्रति	अपूर्ण फोटो प्रति पेश की गयी।

उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त गवाह संख्या 08 – पवन कुमावत की ओर से मय फर्द प्रस्तुत दस्तावेज में वर्णित निम्न दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किये गये, जिनका हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.10.2025 में उल्लेख नहीं किया गया है–

फर्द दस्तावेज की मद संख्या 3	गवाह की इंश्योरेंस पॉलिसी – असल
फर्द दस्तावेज की मद संख्या 4	स्वयं का स्टेटमेन्ट – फोटो प्रति
फर्द दस्तावेज की मद संख्या 8	टुलिप का बैग

गवाह संख्या 15 राधाकिशन की ओर से मय फर्द प्रस्तुत दस्तावेजात् के साथ खाताधारक रामेसरी पत्नी बद्री के बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक खाते की

पासबुक की फोटो प्रति एवं उक्त महिला से सम्बन्धित ग्राम पंचायत, रूपनगढ़ के प्रमाण पत्र दिनांकित 20.09.2017 की फोटो प्रति का हस्तगत प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही प्रस्तुत फर्द दस्तावेज में उक्त दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण बाबत् अंकन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। उपरोक्त समग्र का विवेचन किया गया। बहस तर्कों पर मनन किया गया। ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त की प्रारम्भिक आपत्ति यह रही है कि अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित गवाहों को उपस्थित किये बिना परिवादी व प्रार्थना पत्र से जो गवाह सम्बन्धित नहीं है, उनके हस्ताक्षर कराकर न्यायालय को मुगालते में रखने का प्रयास किया गया है। अभियोजन ने इस सन्दर्भ में न्यायालय के आदेश दिनांकित 26.09.2025 का हवाला दिया है कि न्यायालय द्वारा अभियोजन को यह निर्देश दिये गये थे कि वह परिवादी पक्ष की सहायता से वांछित दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्बन्ध में विधिसम्मत कार्यवाही करें, इसलिए दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्बन्ध में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय का इस सम्बन्ध में यह मत है कि धारा 242(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन पर यह दायित्त्व था कि वह जिन गवाहों की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये उक्त धारा के तहत दस्तावेजात् को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता। मात्र न्यायालय द्वारा उक्त निर्देश देने से अभियोजन निर्देश के "विधिसम्मत" भाग का लोप नहीं कर सकता है। हालांकि मात्र इस कारण से अभियोजन का सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित गवाहान उपस्थित होकर यदि प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को बतौर साक्ष्य रखते हैं, तो न्यायालय के निम्न आदेशों के अधीन रहते हुये उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जा सकेगा–

01. उपरोक्तानुसार पार्थना पत्र के साथ जो असल दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं एवं जिन पर अभियुक्त की अनापत्ति है, वे उसी आधार पर बतौर साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त गवाह संख्या 04 के द्वारा रखा दस्तावेज क्रम संख्या 06, गवाह संख्या 08 के क्रम संख्या 05, गवाह संख्या 14 के क्रम संख्या 07, गवाह संख्या 15 क्रम संख्या 02 एवं गवाह संख्या 16 क्रम संख्या 02 पर प्रस्तुत दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर लिया जाता है, जिससे अभियुक्त जिरह करने हेतु स्वतंत्र है।

प्ररूप संख्या 123
(आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)
आदेशिका

	02. प्रार्थना पत्र में वर्णित लिपिक रिपोर्ट के अनुसार जो दस्तावेज अपूर्ण है एवं मात्र फोटो प्रति है, वे समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली "बी" किये जाकर खारिज किये जाते हैं, क्योंकि न्यायालय का यह मत है कि धारा 242(3) दप्रसं के तहत मजिस्ट्रेट को सभी "साक्ष्यों को" लेने के लिए अग्रसर होना होता है अर्थात् किसी दस्तावेज को इस प्रावधान के तहत रिकॉर्ड पर बतौर साक्ष्य लेने से पूर्व उनका साक्ष्य के मानक स्तर पर संतुष्टि होनी आवश्यक है। जो दस्तावेज मात्र फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गयी है एवं सत्यापित नहीं है, उनके द्वितीयक साक्ष्य के सन्दर्भ में भी प्रार्थना पत्र में कोई आधार नहीं बताये गये हैं, ना ही बहस के दौरान अभियुक्त के विशिष्ट आपत्ति करने पर भी उनके द्वितीयक साक्ष्य के आधारों को स्थापित किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि हस्तगत प्रकरण आपराधिक प्रकृति का है एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के दौरान एकत्रित दस्तावेजात् को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं कराना चाहा गया है, अपितु अभियोजन द्वारा प्रथम बार अभियुक्त एवं न्यायालय के संज्ञान में लाते हुये दस्तावेजों को बतौर साक्ष्य रखना चाहा गया है। ऐसी सूरत में, अभियोजन एवं परिवादी पक्ष पर यह दायित्त्व था कि वह दस्तावेजात् को बतौर "साक्ष्य" रखने हेतु आवश्यक मानकों की पूर्ति करता। 03. प्रार्थना पत्र में वर्णित एवं लिपिकीय रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन द्वारा परिवादी की ओर से तैयार किये गये प्रार्थना पत्र के साथ जो फर्द दस्तावेजात् अंकित किये गये हैं, उसमें ऐसे दस्तावेजात् का लोप किया गया है, जो प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये एवं ऐसे दस्तावेजात् का समायोजन किया गया, जिनका प्रार्थना पत्र में कोई अंकन नहीं है। इस प्रकार प्रथमदृष्ट्या यह दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा न्यायालय व अभियुक्त पक्ष को मुगालते में रखने का प्रयास किया गया है। इस सन्दर्भ में अभियोजन अधिकारी का बहस के दौरान ही तर्क रहा है कि परिवादी के सहयोग से प्रार्थना पत्र व फर्द दस्तावेजात् सूची तैयार की गयी थी, जिन्हें उनके द्वारा एन्डोर्स किया गया था। इस स्तर पर न्यायालय इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करते हुये परिवादी के इस व्यवहार के तहत कार्यवाही करने की स्वतंत्रता रिजर्व रखती है। इस प्रकार के सभी दस्तावेजात् जो बिना प्रार्थना	

पत्र में अंकित किये रखे गये, उन्हें भी शामिल पत्रावली "बी" किये जाकर खारिज किया जाता है एवं जो प्रार्थना पत्र में अंकित होने के उपरान्त नहीं रखे गये, वे दस्तावेज इसी कारण से खारिज किये गये।

04. गवाह जयचंद अजमेरा व भवानी सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र में पेश सूची जरिये जयचंद अजमेरा में से अनापत्ति किये गये दस्तावेज क्रम संख्या 01, 02, 03 तथा 05 रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं तथा अन्य फोटो कॉपी दस्तावेजात् उपरोक्त विवेचन के आधार पर ही शामिल पत्रावली "बी" किये जाकर खारिज किये जाते हैं। इसी प्रकार जयचंद अजमेरा की सूची के क्रमांक 07 पर विभिन्न अखबारों की कटिंग दस्तावेजात् गवाह जयचंद एवं भवानी सिंह से सम्बन्धित नहीं होने से सुनी सुनायी बातों के आधार पर होने एवं अभियुक्त को नकल नहीं दिलाये जाने के आधार पर शामिल पत्रावली "बी" किये जाकर खारिज किये जाते हैं। हालांकि भवानी सिंह द्वारा टुलिप ग्लोबल के अखबार की प्रति प्रकरण में टुलिप ग्लोबल से सम्बन्धित सुसंगत है। उक्त दस्तावेज की नकल अभियुक्त को दिलाये जाने पर ही यह बतौर साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखा जावेगा। इसी प्रकार भवानी सिंह के द्वारा अंकित अन्य दस्तावेज संख्या 02 व 03 भी रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं, जिसमें से क्रम संख्या 03 पर अंकित दस्तावेज की नकल दिलाये जाने पर ही वह रिकॉर्ड पर रहेगा। क्रम संख्या 04 पर अंकित दस्तावेज प्राथमिक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं होने एवं द्वितीयक दस्तावेज के आधार अंकित नहीं होने से शामिल पत्रावली "बी" किये जाकर खारिज किये जाते हैं।

इस प्रकार आगामी पेशी पर, हस्तगत आदेश द्वारा लिये गये दस्तावेजात् को मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर एवं शेष दस्तावेजों को पार्ट बी में शामिल किया जाकर प्रस्तुत किया जावें तथा अभियोजन गवाह जयचंद अजमेरा एवं भवानी सिंह को असालतन न्यायालय के समक्ष साक्ष्य वास्ते प्रस्तुत करे। उपरोक्त आदेशानुसार जिन दस्तावेजों की नकल अभियुक्त को नहीं दी गयी है, उन्हें प्राप्त करावें अन्यथा वे दस्तावेजात् शामिल पत्रावली बी किये जावेंगे। अभियोजन द्वारा समुचित तारीख पेशी का निवेदन किया गया। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 11.12.2025 को पेश हो।